राजस्थान सरकार

निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर–302015

Phone :- 0141-2740819, 2740519, 2740613 Fax :- 2740613 email:- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांक :एफ.वी.4(12)निगो/प्लान/न.गौ.स.यो./2021/ 3687 दिनांक : 27/08/21

परिपत्र

राज्य के निराश्रित नर गौवंश/नन्दी की सार्वजनिक स्थल/सड़कों पर बढती हुई संख्या से उत्पन्न हो रही समस्या का निराकरण करने हेतु प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति में एक नन्दीशाला स्थापना एवं उनमें स्थायी आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण करने हेतु "पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना" अन्तर्गत गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 द्वारा सृजित निधि से आधारभूत संरचनाओं/परिसम्पतियों के निर्माण के लिए निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते है:–

1. **योजना का नाम** :– पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना

2. **योजना अवधि** :–

   योजना अवधि तीन वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–24) होगी।

3. **प्रावधित राशि का विवरण एवं कार्य योजना** :–

वित्तीय वर्ष	पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशालाओं की संख्या	प्रति नन्दीशाला की लागत	वर्षवार नन्दीगौशाला स्थापना पर कुल निर्माण लागत	निर्माण लागत का 90 प्रतिशत (राज्य सरकार द्वारा देय)	भरण –पोषण एवं अन्य व्यय			वर्षवार राशि की आवश्यकता
					भरण–पोषण	क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, प्रचार–प्रसार एवं स्वावलंबन	कुल	
2021-22	70	1.57	109.90	98.91	10.00	3.00	13.00	111.91
2022-23	134	1.57	210.38	189.34	34.50	3.00	37.50	226.84
2023-24	139	1.57	218.23	197.40	60.00	2.32	62.32	259.72
	343		**538.51**	**485.65**	**104.50**	**8.32**	**112.82**	**598.47**

4. **योजना अन्तर्गत नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्य करने वाली संस्था**

   नंदीशाला संचालन समिति (नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्यो) हेतु किसी स्थानीय निकाय यथा नगर पालिका, नगर परिषद् या पंचायत राज संस्थाओं के अतिरिक्त पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था का नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्यो हेतु चयन किया जावेगा। नंदीशाला संचालन समिति ही कार्यकारी संस्था होगी। संस्था का चयन पारदर्शी प्रकिया से जिला गोपालन समिति द्वारा खुली निविदा जारी कर किया जावेगा।

5. **नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं की पात्रता** :–

5.1 'नंदीशाला संचालन समिति (नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्यो) हेतु किसी स्थानीय निकाय यथा नगर पालिका, नगर परिषद् या पंचायत राज संस्थाओं के अतिरिक्त पंजीकृत संस्था/गैर सरकारी संस्था/पंजीकृत ट्रस्ट/पंजीकृत सहकारी संस्था जो कि विगत 3 वर्षो से कार्यरत हो।

5.2 भूमि की आवश्यकता :– पंचायत समिति स्तर पर न्यूनतम 250 नर गौवंश की नन्दीशाला हेतु 20 बीघा भूमि संस्था के स्वंय के स्वामित्व की होना आवश्यक है। किसी अन्य के नाम की भूमि पर अनुदान स्वीकृत नही होगा।

5.3 नन्दीशाला संचालन समिति/संस्था के पास गौशाला संचालन एवं अन्य समान प्रकृति के कार्यो का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव आवश्यक है।

(मधुसूदन ...)

शासन उप सचिव

5.4 चयनित नंदीशाला को न्यूनतम 250 नर गौवंश की देख भाल का कार्य न्यूनतम 20 वर्षों तक करना होगा।

5.5 नवस्थापित नन्दीशालाओं में 1 वर्ष में न्यूनतम 250 नंदियों को संधारित किया जाना आवश्यक होगा किन्तु भरण–पोषण हेतु सहायता राशि निधि नियमों अनुसार 09 माह की देय होगी।

5.6 जिला स्तरीय नन्दीशाला जनसहभागिता योजनान्तर्गत जिन पंचायत समितियों में जिला स्तर की नन्दीशाला स्थापित हो चुकी है, उन पंचायत समितियों में भी पंचायत समिति स्तर की नन्दीशाला खोली जा सकेगी।

5.7 संबंधित संस्था से आर्थिक, तकनीकी एवं भौतिक मापदण्डों के आधार पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की संतुष्टि के उपरान्त ही उसका चयन किया जा सकेगा। संस्था की वित्तीय सक्षमता के निर्धारण हेतु संस्था के विगत 3 वर्ष के लाभ हानि खातों एंव अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन करने के साथ–साथ उसे आवंटित किये जाने वाले कार्य की लागत के दृष्टिगत पारदर्शी वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होगें। अतः तकनीकी मापदण्ड हेतु संस्था के पास निर्माण कार्यों हेतु विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है तथा संस्था की वित्तीय सक्षमता के निर्धारण हेतु नन्दीशाला संचालन समिति को अपने 10 प्रतिशत अंशदान के संबंध में सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण चयन के समय ही प्रस्तुत करना होगा।

6. नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं की चयन प्रक्रिया एवं राशि आवंटन की शर्तें :–

6.1 योजना में गोपालन विभाग द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में 1.57 करोड रू. की कुल लागत जिसमें संस्था/दानदाता का अंशदान (10 प्रतिशत) व राज्यांश (90 प्रतिशत) है से नन्दीशाला निर्मित करने का प्रावधान है। योजना में निर्मित नंदीशाला में राज्यांश लागत 1.57 करोड के 90 प्रतिशत से अधिक किसी भी परिस्थिति में देय नही होगी।

6.2 जिला गोपालन समिति द्वारा जिले में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशाला संचालन एवं निर्माण कार्यों हेतु पात्र संस्थाओं का चयन किये जाने हेतु निविदा जारी की जावेगी। संबंधित संस्था से आर्थिक, तकनीकी एवं भौतिक मापदण्डों के आधार पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की संतुष्टि के उपरान्त ही उसका चयन किया जा सकेगा। संस्था की वित्तीय सक्षमता के निर्धारण हेतु संस्था के विगत 3 वर्ष के लाभ हानि खातों एंव अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अवलोकन करने के साथ–साथ उसे आवंटित किये जाने वाले कार्य की लागत के दृष्टिगत पारदर्शी वित्तीय मापदण्ड पूर्ण करने आवश्यक होगें। अतः तकनीकी मापदण्ड हेतु संस्था के पास निर्माण कार्यों हेतु विषय विशेषज्ञ होना आवश्यक है तथा संस्था की वित्तीय सक्षमता के निर्धारण हेतु नन्दीशाला संचालन समिति को अपने 10 प्रतिशत अंशदान के संबंध में सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रमाण चयन के समय ही प्रस्तुत करना होगा।

6.3 जिला गोपालन समिति द्वारा संस्था चयन किये जाने हेतु निविदा जारी करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय किये जाने के लिए आयोजित की जानी वाली कमेटी बैठक की दिनांक निदेशालय गोपालन को अवगत करवायी जावेगी, जिससे उक्त बैठको में निदेशालाय गोपालन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जा सकेगा।

6.4 जिला गोपालन समिति द्वारा संस्था का चयन करने के उपरान्त नंदीशाला में करवाये जाने वाले विभिन्न नवीन निर्माण कार्यो का नंदीशाला संचालन समिति द्वारा ऐस्टिमेट जिला गोपालन समिति को उपलब्ध करवाया जावेगा।

6.5 जिला गोपालन समिति द्वारा संस्था का चयन करने के उपरान्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृती जारी की जावेगी।

6.6 स्वीकृत योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले नवीन स्थायी आधारभूत व पक्के निर्माण हेतु सहायता राशि 3 किस्तों में (प्रथम किस्त 40%, द्वितीय किस्त 40%, तृतीय किस्त 10%) स्वीकृत की जायेगी। योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले स्थायी आधारभूत व पक्के निर्माण की संभावित अधिकतम लागत परिशिष्ट 1–2 में तथा मानचित्र परिशिष्ट–3 में उपलब्ध करवाया गया है।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

6.7 नंदीशाला का समस्त निर्माण कार्य निदेशालय गोपालन विभाग द्वारा अनुमोदित मानचित्र के आधार पर करवाया जाना आवश्यक होगा।

6.8 नंदीशाला संचालन समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. एवं टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन अनुसार निर्माण कार्य करवायें जावेंगे।

6.9 योजना के कियान्वयन हेतु जिला गोपालन समिति नंदीशाला द्वारा प्रस्तुत निर्माण कार्यों के ऐस्टिमेट का अध्ययन कर 30 दिन में प्रशासनिक स्वीकृति जारी करवायेगी। निर्धारित समय सीमा में कार्यो का निष्पादन नही होने की दशा में उत्तरदायित्व तय किया जावेगा।

6.10 जिला गोपालन समिति द्वारा नंदीशाला में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग संबंधित कार्य जिले में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के पर्यवेक्षण में पंचायत समिति स्तरीय समिति से करवाया जावेगा। पंचायत समिति स्तरीय समिति के अध्यक्ष सबंधित उपखण्ड अधिकारी होंगे एवं जिसमें सबंधित विकास अधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित सहायक अभियन्ता सदस्य होंगे एवं उपनिदेशक, पशुपालन विभाग सदस्य सचिव होगा।

6.11 उक्त योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों का निजी उपयोग पूर्णतया वर्जित होगा।

6.12 उक्त योजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली सभी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार को निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्द–बुर्द किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकेगा।

6.13 गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 7(V) के अंतर्गत निषिद्ध किये गये कार्यों पर निधि की राशि व्यय नहीं की जा सकेगी।

6.14 योजनान्तर्गत स्वीकृत अंशदान राशि नवीन निर्माण कार्य के लिए ही होगी।

6.15 संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृत एवं उपयोग की गयी अनुदान राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6.16 इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृतियां तीन चरणों में जारी की जायेगी। प्रथम चरण में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी, उसके पश्चात तकनीकी स्वीकृति जारी की जायेगी उसके पश्चात् वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। तीनों स्वीकृतियॉ जारी होने के पश्चात् ही जमीनी स्तर पर कियान्वयन/निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा।

6.17 नन्दीशाला के लिए चयनित की गयी संस्था द्वारा राज्य सरकार (अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति) के साथ उक्त शर्तों को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में अनुबन्ध (MOU) निष्पादित करने के उपरान्त ही नवीन कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त नन्दीशाला संचालन समिति अपने हिस्से की 10 प्रतिशत राशि से निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर राज्य सरकार की प्रथम किस्त की 40 प्रतिशत राशि की मांग कर सकेगी। तदोपरान्त पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति, नंदीशाला संचालन समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर राज्य सरकार राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत राशि आवंटन की अनुशंषा जिला गोपालन समिति को करेगी। जिला गोपालन समिति के अनुमोदन उपरान्त संबधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी को राशि जारी की जावेगी। कार्यकारी एजेंसी द्वारा स्वंय की हिस्से की 10 प्रतिशत राशि एवं राज्यांश राशि 40 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगी। पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति नंदीशाला संचालन समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत राज्यांश राशि आवंटन की अनुशंषा जिला गोपालन समिति को करेगी। जिला गोपालन समिति के अनुमोदन उपरान्त संबधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी को द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत राशि जारी की जावेगी। कार्यकारी एजेंसी द्वारा नंदीशाला के शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति नंदीशाला संचालन समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से नंदीशाला के सफल संचालन के एक वर्ष पश्चात शेष 10 प्रतिशत राज्यांश राशि की तृतीय किस्त के रूप आवंटन की अनुशंषा जिला गोपालन समिति को करेगी। तदोपरान्त शेष 10 प्रतिशत राज्यांश राशि आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

6.18 नंदीशाला के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आगामी स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान को निरस्त किया जा सकेगा साथ ही स्वीकृत अनुदान की वसूली भी संस्था से की जा सकेगी।

6.19 स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, निधि से स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित नन्दीशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

6.20 पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति द्वारा स्वीकृत एवं आवंटित राशि की सम्बन्धित कार्यकारी संस्था (नन्दीशाला संचालन समिति) से निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्राप्त कर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा निदेशालय गोपालन को नियमित रूप से दी जावेगी तथा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्धारित राशि से अधिक की स्वीकृतियां जारी नहीं की जावे। उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यकारी संस्था से प्राप्त कर निदेशालय गोपालन को भिजवाने सम्बन्धी कार्य उपनिदेशक पशुपालन विभाग द्वारा किया जावेगा।

6.21 निर्धारित नर गौवंश की संख्या के आधार पर नन्दीशाला का आकार निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानचित्र अनुसार होगा, जिसमें प्रथम वर्ष में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए किये जाने वाले निर्माण कार्यो/सुविधाओं के विकास की सूची एवं लागत का विवरण तैयार किया जायेगा।

6.22 **नन्दीशाला में सार्वजनिक स्थल/सड़कों/गांवो/शहरों से निराश्रित गौवंश को आश्रय दिया जायेगा। जिले की अन्य संचालित गौशालाओं में आवासित नंदी गौवंश को नव स्थापित नन्दीशाला में किसी भी हाल में स्थानान्तरित नही किया जायेगा।**

6.23 नन्दीशाला मे नर गौवंश के पालन पोषण हेतु राजकीय सहायता से अधिक आवश्यक अन्य समस्त व्यय जैसे चारा, पशुआहार, गोपालकों का वेतन, कार्यालय व्यय आदि भामाशाह, दानदाता एवं गौ सेवकों के माध्यम से नन्दीशाला प्रबंधन द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा।

6.24 राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी अधिकारी उक्त संस्था द्वारा संचालित नन्दीशाला का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा एवं ऑडिट करवाई जा सकेगी।

7. नन्दीशाला हेतु अनुमत निर्माण एवं विकास कार्यः–

7.1 ग्रेवल रोड़ एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स
7.2 बाउण्ड्री वॉल
7.3 प्रशासनिक भवन, पशु चिकित्सा सुविधा एवं अन्य निर्माण
7.4 चारा भण्डार गृह।
7.5 काऊ शैड।
7.6 अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक/टयूब वैल
7.7 पानी का निकास
7.8 विद्युत कार्य
7.9 लेण्डस्केप एण्ड साइट डवलपमेन्ट

8. योजना के सफल संचालन हेतु गठित समितियाँ :–

(अ) श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय अधिभार उपयोग सलाहकार समिति ही योजना के संबंध में नीति निर्धारित करेगी।

(ब) ज़िले में पंचायत समिति स्तरीय नन्दीशाला स्थापित करवाने का समस्त दायित्व जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला गोपालन समिति का होगा। जिला गोपालन समिति द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग संबंधित कार्य जिले में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के पर्यवेक्षण में कराया जावेगा।

(स) **योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति का गठन :–**

योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर गोपालन समिति निम्नानुसार होगीः–

उपखण्ड अधिकारी	: अध्यक्ष
विकास अधिकारी (BDO)	: सदस्य
उप निदेशक, पशुपालन विभाग	: सदस्य सचिव
सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग	: सदस्य

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व :–

- जिला गोपालन समिति द्वारा चयनित संस्थाओं के लिए प्रशासनिक, तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति संबंधित जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के माध्यम से जारी करवाना, नंदीशाला संचालन समिति द्वारा किये गये निर्माण कार्यो के गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर कार्यकारी संस्था को राशि आवंटन करवाने हेतु अनुशंषा करना। जिला संयूक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता माध्यम से जारी करवाई जावेगी
- माह में एक बार आवश्यक रूप से नंदीशाला की व्यवस्था एवं कार्यों की समीक्षा के संदर्भ में बैठक आयोजित किया जाना।
- ग्रामवासियों के सहयोग से निराश्रित/बेसहारा नर गौवंश को नंदीशाला में स्थानान्तरित किये जाने की व्यवस्था करना।
- संरक्षित नर गौवंश हेतु दानदाताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, भामाशाहों के माध्यम से चारे–पानी की व्यवस्था करना।
- नर गौवंश की समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।

9. <u>निर्माण कार्य हेतु राशि का उपयोग, मोनिटरिंग एवं उत्तरदायित्व</u> :–

9.1 स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग योजना के प्रावधानानुसार निश्चित करने एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति व जिला गोपालन समिति उत्तरदायी होंगी।

9.2 पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति द्वारा सम्बन्धित कार्यकारी संस्था (नन्दीशाला संचालन समिति) से प्रगति प्राप्त कर संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा निदेशालय गोपालन को नियमित रूप से दी जावेगी तथा जिला गोपालन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि निर्धारित राशि से अधिक की स्वीकृतियां जारी नहीं की जावे। कार्यकारी संस्था से उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर उपनिदेशक पशुपालन विभाग द्वारा इकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय गोपालन को प्रेषित करेंगे।

9.3 जिला गोपालन समिति द्वारा नंदीशाला में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग संबंधित कार्य जिले में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के पर्यवेक्षण में पंचायत समिति स्तरीय समिति से करवाया जावेगा। पंचायत समिति स्तरीय समिति के अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारियों होंगे एवं जिसमें संबंधित विकास अधिकारी तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के संबंधित सहायक अभियन्ता सदस्य होंगे एवं उपनिदेशक, पशुपालन विभाग सदस्य सचिव होगा।

9.4 जिला स्तरीय गोपालन समिति तथा गोपालन निदेशालय द्वारा नामित लेखा परीक्षण दल या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत राजकीय संस्थान लेखा एवं वित्तीय अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण एवं ऑडिट करवाई जा सकेगी।

9.5 सम्बन्धित कार्यकारी संस्था द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं राशि के नियमानुसार उचित उपयोग का दायित्व पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति एवं जिला गोपालन समिति का होगा।

10. <u>विभिन्न विभागों की भूमिका</u> :–

10.1 **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** :–क्रियान्वयन में इस विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति का सदस्य के रूप में कार्यों का निर्वहन करते हुए कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अभिलेखों का संधारण करवाना समिलित होगा।

10.2 **सार्वजनिक निर्माण विभाग** :–निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियन्ता के माध्यम से जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग से जारी करवाना। नंदीशाला में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जॉच, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग संबंधित कार्य जिले में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के पर्यवेक्षण में पंचायत समिति स्तरीय समिति से करवाया जावेगा।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

10.3 **राजस्व विभाग** :–आवश्यकतानुरूप स्थानीय निकाय अथवा राजकीय संस्था को नियमानुसार भूमि उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा।

10.4 **पशुपालन विभाग** :– जिला संयुक्त निदेशक द्वारा प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर राशि कार्यकारी ऐजेन्सी को उपलबध करवाई जायेगी। उपनिदेशक पशुपालन विभाग पंचायत स्तरीय समिति का सदस्य सचिव होगा, इनके द्वारा समस्त बैठक का आयोजन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित समस्त कार्य का निर्वहन एवं निराश्रित नर गौवंश की चिकित्सा, स्वास्थ्य परीक्षण इत्यादि कार्य करवाया जावेगा।

10.5 **कृषि विभाग** :–चारे की उपलब्धता इत्यादि।

10.6 **गोपालन विभाग** :–योजना के सफल संचालन का दायित्व होगा।

10.7 **जिला कलक्टर** :–योजना समन्वयक/नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण।

10.8 **स्थानीय अंकेक्षण विभाग** :–स्थानीय अधिकारी द्वारा अंकेक्षण की कार्यवाही।

10.9 **वित्त विभाग** :–वित्त पोषण का कार्य।

10.10 **नगरीय विकास विभाग** :–नगरीय सीमा में नंदीशाला स्थापना हेतु सहयोग तथा आवारा गौवंश का नगरीय क्षेत्रों से नन्दीशालाओं तक परिवहन का सम्पूर्ण दायित्व होगा ।

10.11 **स्वायत्त शासन विभाग** :–नगर पालिका/नगर परिषद सीमा में नंदीशाला स्थापना हेतु सहयोगतथा आवारा गौवंश का नगरीय क्षेत्रों से नन्दीशालाओं तक परिवहन का सम्पूर्ण दायित्व होगा ।

10.12 **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग**:– नन्दीशाला में आवश्यकता अनुसार पशु पेयजल उपलब्ध कराने का दायित्व होगा।

11. **<u>भरण–पोषण हेतु सहायता राशि के उपयोग हेतु अनुदेश:–</u>**

11.1 नन्दीशाला में संधारित नर गौवंश को भरण–पोषण हेतु सहायता राशि निधि नियमों के प्रावधान अन्तर्गत देय होगी। वर्तमान में गौशालाओं में आवासित गौवंश के भरण पोषण हेतु अधिकतम 180 दिवस की सहायता दिये जाने का प्रावधान हैं। नन्दीशालाओं को अतिरिक्त 90 दिवस की भरण पोषण हेतु सहायता राशि दी जावेगी।

11.2 नंदीशाला द्वारा 250 नर गौवंश संधारण उपरान्त प्रपत्र–8 अनुसार निरीक्षण करवाकर भरण–पोषण हेतु मांग कर सकेगे।

11.3 संस्था द्वारा संधारित प्रत्येक गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। INAPH टैगिंग **"गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016"** के अन्तर्गत निदेशालय गोपालन द्वारा पूर्व में जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप किया जायेगा।

11.4 नन्दीशाला द्वारा उक्त टैग की संख्या के आधार पर अपने कार्यालय में गौवंश का एक रजिस्टर **प्रपत्र–5** में संधारित करना होगा।

11.5 जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के निर्देशानुसार सम्बन्धित पशु चिकित्साकर्मियों द्वारा नन्दीशाला प्रबन्धन के सहयोग से संधारित गौवंश के टैग लगवाये जायेंगे।

11.6 संस्था द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जब्त अथवा जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था या जन सुविधा की दृष्टि से निराश्रित/असहाय/विकलांग अथवा लावारिस गौवंश की सुपुर्दगी लेने से इन्कार नहीं किया जायेगा।

11.7 संस्था द्वारा सूचना एवं प्रोद्योगिकी की आधुनिक प्रणाली को अपनाते हुए डाटा का संधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना होगा एवं निदेशालय गोपालन के निर्देशानुसार प्रेषित की जानी होगी।

11.8 संस्था द्वारा वृद्ध एवं बीमार पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी एवं मृत पशुओं का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।
संस्था द्वारा विगत दो वर्षो की सी.ए. द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट जिला गोपालन समिति को प्रस्तुत करनी होगी।

11.9 संस्था द्वारा अपनी आय के समस्त स्त्रोतों तथा व्यय का विवरण संस्था के ऑडिट रिपोर्ट में समावेश करवाना होगा अर्थात उक्त आय धार्मिक ट्रस्ट, कॉर्पोरेट हाउस या दानदाताओं से प्राप्त होती है अथवा अन्य उत्पाद जैसे गोबर, गौमूत्र अर्क, धूपबत्ती, वर्मीकम्पोस्ट, जैविक खाद, इत्यादि के विक्रय से होती है।

11.10 नन्दीशाला में अनियमितता पाये जाने पर भरण–पोषण हेतु दी जाने वाली सहायता राशि जिला गोपालन समिति द्वारा निरस्त/स्थगित/वसूल की जा सकेगी।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

11.11 अन्य आवश्यक शर्ते जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जावेंगी।

12. कार्यकारी एजेंसी का कार्य एवं भूमिका :–

योजना मे निर्माण कार्य चयनित कार्यकारी संस्था (नन्दीशाला संचालन समिति) द्वारा कराये जाएंगे। इस हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा पृथक से लेखा अभिलेख संधारित किया जायेगा तथा व्यय के समस्त बिल/वाउचर अंकेक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखे जावेंगे।

13. योजना राशि का अवमोचन (Release) :–

13.1 नन्दीशाला के लिए चयनित की गयी संस्था द्वारा राज्य सरकार (अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति) के साथ उक्त शर्तो को स्वीकार करने हेतु अग्रिम रूप में अनुबन्ध (MOU) निष्पादित करने के उपरान्त ही नवीन कार्य की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति उपरान्त नन्दीशाला संचालन समिति अपने हिस्से की 10 प्रतिशत राशि से निर्माण कार्य पूर्ण करवाकर पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर राज्य सरकार की प्रथम किस्त की 40 प्रतिशत राशि की मांग कर सकेगी। तदोपरान्त पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति, नंदीशाला संचालन समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर राज्य सरकार राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत राशि आवंटन की अनुशंषा जिला गोपालन समिति को करेगी। जिला गोपालन समिति के अनुमोदन उपरान्त संबधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी को राशि जारी की जावेगी। कार्यकारी एजेंसी द्वारा स्वंय की हिस्से की 10 प्रतिशत राशि एवं राज्यांश राशि 40 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगी। पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति नंदीशाला संचालन समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत राज्यांश राशि आवंटन की अनुशंषा जिला गोपालन समिति को करेगी। जिला गोपालन समिति के अनुमोदन उपरान्त संबधित जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा कार्यकारी एजेंसी को द्वितीय किश्त की 40 प्रतिशत राशि जारी की जावेगी। कार्यकारी एजेंसी द्वारा नंदीशाला के शेष निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी। पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति नंदीशाला संचालन समिति द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच एवं मूल्यांकन कर कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से नंदीशाला के सफल संचालन के एक वर्ष पश्चात शेष 10 प्रतिशत राज्यांश राशि की तृतीय किस्त के रूप आवंटन की अनुशंषा जिला गोपालन समिति को करेगी। तदोपरान्त शेष 10 प्रतिशत राज्यांश राशि आवंटन की कार्यवाही की जावेगी।

13.2 विभाग द्वारा परियोजना अन्तर्गत प्रावधित/स्वीकृत राशि की अधिकतम 90% अनुदान राशि 3 किस्तों में (प्रथम किस्त 40%, द्वितीय किस्त 40%, तृतीय किस्त 10%) दी जायेगी तथा 10% राशि नन्दीशाला/दानदाता/स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट/ पंजीकृत गौशाला /भामाशाह द्वारा स्वयं को वहन करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रावधित/स्वीकृत राशि की 90% से अधिक सहायता राशि नहीं दी जायेगी।

13.3 कार्यकारी संस्था द्वारा पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति के माध्यम से पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। योजना में व्यय राशि का पूर्ण विवरण कार्यकारी संस्था के पास में रखा जायेगा। इस हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा पृथक से लेखा अभिलेख संधारित किया जायेगा तथा व्यय के समस्त बिल/वाउचर अंकेक्षण की दृष्टि से सुरक्षित रखे जावेगे। राज्य स्तर पर बजट नियंत्रण गोपालन विभाग द्वारा किया जायेगा।

14. सम्पतियों का ब्यौरा :–

योजना से सृजित सम्पतियों का इन्द्राज हेतु सम्पति रजिस्टर संबंधित पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति एवं संबंधित नंदी शाला में संधारित किया जायेगा, जिसमें निर्माण वर्ष, लागत, निर्माण का विवरण, पूर्णता की तिथि, राजकीय स्वीकृत राशि, व्यय राशि आदि का विवरण होगा।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

15. अंकेक्षण :–

योजना के अंतर्गत व्यय राशि एवं लेखा अभिलेखों का अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा कराया जायेगा। अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति कार्यकारी ऐजन्सी एवं निदेशालय गोपालन को प्रेषित की जायेगी।

16. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र :–

कार्य समाप्ति पर स्वीकृत एवं व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यकारी संस्था द्वारा जिला गोपालन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसकी एक प्रति गोपालन निदेशालय को भिजवाई जायेगी।

27/8/2021

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव
गोपालन विभाग

क्रमांकः एफ.वी.4(2)निगो/प्लान/न.गौ.स.यो./2021/3688-4944 दिनांकः 27/08/21
प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, खान एवं गोपालन, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, गोपालन एवं पशुपालन विभाग।
12. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान अजमेर।
13. समस्त सम्भागीय आयुक्त, ...
14. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
18. समस्त जिला कलक्टर्स, ...
19. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...
20. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला ....
21. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, पशुपालन विभाग, ...
22. समस्त जिला कोषाधिकारी, ...
23. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, ...
24. समस्त उपखण्ड अधिकारी, ...
25. समस्त सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत समिति ....
26. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति ....
27. समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग, ...

शासन उप सचिव
गोपालन विभाग

परिशिष्ट–1

(In Rs.)

Nandishala Module for 250 - 500 Nandi's - Estimate Panchyat Samiti's (157 Lacs)			
DATE - 31.12.20			
Area statement - 193 x 161 = 31,100 Sq.mt Approx/ 19.25 Bhiga Approx. (1Bhiga = 1617.00Sqs.mt)			
Sl. No.	**Item**		**Amount (Rs)**
1	Gravel Road and Interlocking Tiles		537500.00
2	Boundary wall		1400000.00
3	Admin Block & Other Built Infra		1200000.00
4	Godown Dry Husk storage/ other Stores 5 store		3150000.00
5	Cow shed Units - 8		7757500.00
6	Water Tank		650000.00
7	Site Drainage /Services		200000.00
8	Eectrical (Street lights, Shed lights and shed Fans and other electrical works)		500000.00
9	Landscape and site Development		100000.00
10	Electrical (Electrical works outdoor and indoor)		200000.00
		Total	**15695000.00**
In words- 1.57Cr Approx			

(मधुसूदन दाधी
शासन उप सचिव

Sl. No.	Description	Unit	Nos	L	B	D	Quan tity	Rate	Amount (Rs)
Nandishala Module for 250 - 500 Nandi's - Estimate Panchyat Samiti's									
DATE - 31.12.20									
Area statement - 193 x 161 = 31,100 Sq.mt Approx/ 19.25 Bhiga Approx. (1Bhiga = 1617.00Sqs.mt)									
1. DRIVE WAY Road									
	3.75 mt Wide Road granular sub base	Sq.mt	1	300	3.75	0.3	337.5	1000	337500
	Levelling dressing and Earth Work								200000
									537500.00
2. BOUNDARY WALL 700 mt									
	Including Excavation/ P.C.C/ Foundation / Superstructure/ Pointing and coping, 4feet High with 2 feer Barbed wire fencing						700	2000	1400000.00
3. R.C.C WORK /Admin/Residential /Gowdown/Services & all other Built up area									
1	R.C.C structure						80	15000	1200000
4. Godown for Dry Husk									
2	Structure for Godows without R.C.C Roof ht. 6mt						450	7000	3150000
	Shed structure for Gowdown = 150s.mt each x3nos								
5. Cow shed structure (module size 25x35=825sqmt including both open and shed area) Including passage 3mt wide x 25mt Length							**Shed structure 25 x 13mt = 325mt**		
1	Shed structure size 325 sq.mt each								
2	Roof Shed structure for 1 shed area 325sq.mt Including Roof / truss/ Column erection Fabrication and Column foundation.						325	3200	1040000
3	Flooring Brick Bat for cows inside shed area 25mt L x 3.5 Mt wide = 87.5 mt on one side x 2 sides = 175 sq.mt for each module sq.mt	**sq.**	**2**	**25**	**3.5**		175	1200	210000
4	Flooring in between space Passage space for serving fodder 3mt wide x 25mt L	**sqm**		**25**	**3**		75	1200	90000
5	Railing all around the shed 100 Running mt @each shed	**ruuning mt**		**100**			200	120	24000
6	Manger Feeding space @1500Running mt for 70mt Approx. including water body structure						75	2500	187500
7	for all 6 shed							5	1551500
									7757500
6. Uudergound and Water Tank over admin block Roof Capacity (10000 lit each)									
1	Over head water tank -10000 lit capacity								50000
2	Undergrounf water tank 10,00 lit capacity								50000
3	Pipe line network								150000
4	Bore well and Pump								400000
									650000.00
7. Drainage system									
									200000.00
8	**Electrical**								
	, Street lights, Shed lights and shed Fans and other electrical works								500000.00
9. Landscape Plantation									
	Trees, shrubs & Lawn Fountain water feature etc								100000.00
10 .Machines & Tools									
	Electrical works outdoor and indoor								200000.00
								Total	15695000.00

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

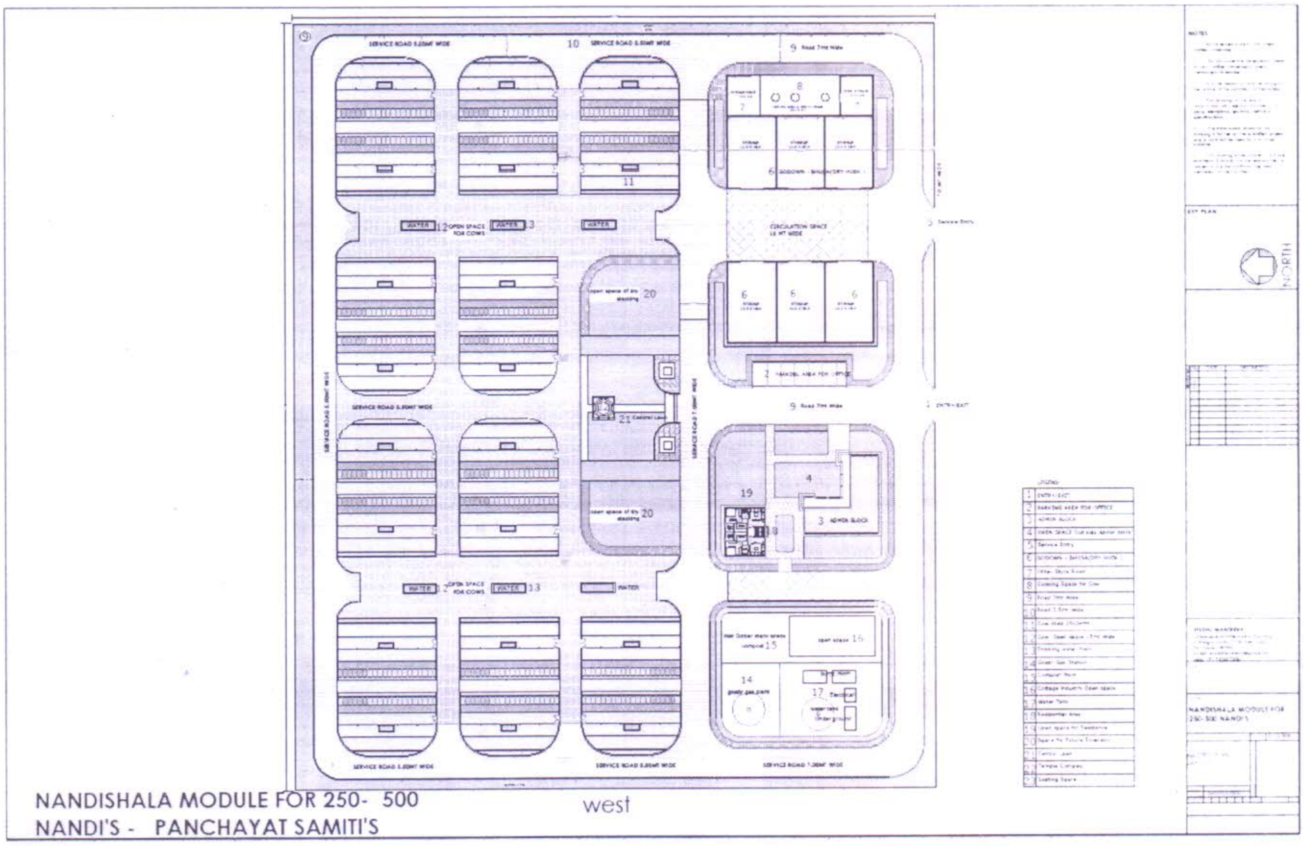

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट –4

कार्यालय जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग एवं सदस्य सचिव, जिला गोपालन समिति.............

प्रशासनिक स्वीकृती

नन्दीशाला/संस्था का नाम..................................

(अ) संस्था का अंशदान (10 प्रतिशत)
–अंशदान से प्रस्तावित कार्य
–कार्य की अनुमानित राशि

(ब) राज्यांश (90 प्रतिशत)

राशि रू. में

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	राज्यांश से स्वीकृत राशि का विवरण	आवंटित राशि का विवरण
1.	ग्रेवल रोड़ एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स		
2.	बाउण्ड्री वॉल		
3.	प्रशासनिक भवन, पशु चिकित्सा सुविधा एवं अन्य निर्माण		
4.	चारा भण्डार गृह।		
5.	काऊ शैड।		
6.	अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक/टयूब वैल		
7.	पानी का निकास		
8.	विद्युत कार्य		
9.	लेण्डस्केप एण्ड साइट डवलपमेन्ट		
	कुल राशि		

नोट :–

1. स्वीकृत राशि का उपयोग राजस्थान गौसंवर्धन एवं संरक्षण निधि नियम 2016 तथा नन्दीशाला जन सहभागिता योजनाद्वारा समय – समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रत्येक गौवंश की टैंगिंग एवं गौवंश संधारण रजिस्टर में टैग नम्बर के आधार पर प्रत्येक का इन्द्राज आवश्यक है।

संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति,..
3. कोषाधिकारी, जिला ....
4. उप खण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति,.........................
5. कार्यालय प्रति।
6. अध्यक्ष, संबंधित नंदीशाला संचालन समिति।

संयुक्त निदेशक,
पशुपालन विभाग

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

प्रपत्र–5

नन्दीशाला में टैग नम्बर अनुसार गौवंश संधारण का रजिस्टर

नन्दीशाला का नाम व पता :– .... पंजीयन क्रमांक / दिनांक.................................

क्र.सं.	आवक की दिनांक	टैग क्रमांक	टैग का रंग	गौवंश का विवरण				स्वास्थ्य का विवरण	मृत्यु / स्थानान्तरण / दान / विक्रय या अन्य कारण जिससे निकास हुआ	
				नस्ल	आयु	गौवंश का रंग	पहचान चिन्ह	अन्धा / विकलांग / बीमार	निकास की दिनांक	कारण

हस्ताक्षर
प्रबन्धक / सचिव

नोट :–

1. संस्था द्वारा संधारित प्रत्येक गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक गौवंश का नम्बर **एक ही** अर्थात uniqueहोगा।
2. संधारित गौवंश पर यदि टैग पहले से ही लगा हुआ हो तो उस टैग नं. के आधार पर संबंधित गौवंश का इन्द्राज उक्त निर्धारित रजिस्टर (प्रपत्र–5) में गौशाला प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित करना होगा, यदि गौवंश का टैग नहीं लगा हुआ है तो एकरूपता की दृष्टि से unique टैग लगाया जायेगा ।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

(कार्यकारी संस्था द्वारा उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित करना है)

क्रमांक :–.. दिनांक :–..........................

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग** .... के द्वारा स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि रूपये .... के विरूद्ध राशि रूपये .... का **पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत** जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयोग कर लिया गया है। उक्त राशि के क्रय एवं भुगतान तथा उपयोग से संबंधित पंजिकाएं एवं अभिलेख कार्यालय में नियमानुसार संधारित एवं सुरक्षित है।

शेष राशि रूपये .... का चालान/डीडी संख्या .... दिनांक .... संलग्न किया जा रहा है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष, नंदीशाला संचालन समिति ....

मूल प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशालय, गोपालन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति,..
3. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग ....
4. उप खण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष पंचायत समिति स्तरीय गोपालन समिति,..............................
5. कार्यालय प्रति।

हस्ताक्षर अध्यक्ष, नंदीशाला संचालन समिति ....

(मधुसूदन ...
शासन उप सचिव

प्रपत्र–7

(निदेशालय गोपालन में प्रेषित करना है)

कार्यालय जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग एवं सदस्य सचिव, जिला गोपालन समिति.............

क्रमांक .... दिनांक ....

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय गोपालन राजस्थान जयपुर के द्वारा स्वीकृति क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा **पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना** के अन्तर्गत नन्दीशाला में स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण हेतु आवंटित की गई अनुदान राशि रूपये .... के विरूद्ध राशि रूपये .... का उपयोग **पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना** अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कर लिया गया है। उपयोग की गई उक्त राशि जिले की नन्दीशाला से प्राप्त प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर है। नंदीशाला संचालन समिति को स्वीकृत एवं दी गई सहायता राशि से संबंधित अभिलेख एवं पत्रावलियां आदि मेरे कार्यालय में अंकेक्षण एवं रिकार्ड की दृष्टि से सुरक्षित रखी हुई है।

संयुक्त निदेशक

....

क्रमांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति,......................................
3. कार्यालय प्रति।

संयुक्त निदेशक

....

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

नन्दीशाला जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत भरण–पोषण हेतु सहायता राशि के लिए आवेदन के सन्दर्भ में निरीक्षण का प्रारूप

निरीक्षण दिनांक ....

संस्था द्वारा आवेदन की दिनांक ....

1. नन्दीशाला का पूरा नाम एवं पता ....
2. नन्दीशाला पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....
3. नन्दीशाला में संधारित गौवंश का सत्यापन :–

दिनांक	छोटे गौवंश (3 वर्ष से कम)	बड़े गौवंश (3 वर्ष या अधिक)	कुल गोवंश
दिनांक	विंकलाग / अन्धे गौवंश की संख्या	बीमार गौवंश की संख्या	नंदी गोवंश संख्या

5. नन्दीशाला में संधारित समस्त गौवंश की पहचान हेतु टैगिंग की हुई है या नहीं ....

6. टैग नम्बर के आधार पर रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र–5) में संधारित है या नहीं ....

7. निरीक्षण / भौतिक सत्यापन के दौरान जानकारी में आई ऐसी कोई सूचना जो नन्दीशाला जन सहभागिता योजना के दिशा–निर्देशों में सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्णय पर विपरीत प्रभाव डालती हो, का विवरण :– ....

हस्ताक्षर
गौशाला प्रतिनिधि

पद की मुहर
नाम ....
मोबाइल नं. ....

हस्ताक्षर
पशु चिकित्सक / तहसीलदार / नायब तहसीलदार / विकास अधिकारी

नाम...
मोबाइल नं.................................

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

पंचायत समिति नन्दीशाला जन सहभागिता योजना अन्तर्गत निर्माणाधीन नंदीशाला की प्रगति का प्रारूप

1. नन्दीशाला का पूरा नाम एवं पता ....
2. नन्दीशाला पंजीकरण क्रमांक .... दिनांक ....
3. नन्दीशाला समिति द्वारा जिला गोपालन समिति को प्रस्तुत तकमीना का दिनांक ....
4. नंदीशाला के निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृती का दिनांक ....
5. नंदीशाला के निर्माण हेतु जारी वित्तीय स्वीकृती का दिनांक ....
6. नंदीशाला द्वारा स्वंय के हिस्से की 10 प्रतिशत अंशदान राशि से कार्य प्रारंभ करने का दिनांक
7. नंदीशाला को जारी राज्यांश की प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त जारी करने का दिनांक
8. योजना की वर्तमान स्थिति ....

हस्ताक्षर

नंदीशाला प्रतिनिधि

नाम..

मोबाइल नं. ....

प्रति हस्ताक्षर

जिला संयुक्त निदेशक,

पशुपालन विभाग ....

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला हेतु अनुबन्ध–पत्र का प्रारूप

परिवर्तित बजट घोषणा 2019–20 (31) एवं बजट घोषणा 2021–22 (91) के क्रियान्वयन हेतु पंचायत समिति ....जिला .... में नंदीशाला की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुबंध राज्य सरकार (जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति) प्रथम पक्ष एवं तथा नंदीशाला संचालन समिति .... के जिससे द्वितीय पक्ष संबोधित किया गया है के मध्य आज दिनांक को किया जा रहा है। अनुबंध की शर्ते निम्नानुसार हैः–

मैं .... पुत्र/पुत्री ....धारित पद .... उम्र .... वर्ष,............ निवासी .... तहसील .... जिला .... (राज.) (प्रथम पक्ष) शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं, कि :–

1. संस्था का नाम .... है। इस संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... तथा राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक .... दिनांक .... है।
2. संस्था पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला के संचालन हेतु सहमत है। नंदीशाला का स्थान .... तहसील .... पंचायत समिति .... जिला .... है।
3. संस्था का राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत/ राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत गौशाला संचालन के उद्देश्य का न्यूनतम 03 वर्ष का पंजीकरण है तथा संस्था को न्यूनतम 03 वर्ष गौशाला संचालन का अनुभव है।
4. नंदीशाला संचालन समिति के पास वर्तमान में .... हेक्टेयर सिंचित/असिचित भूमि है जिसकी खातेदारी/गैर खातेदारी नंदीशाला प्रबंधन समिति के नाम है जिसकी किस्म.. .... सिंचित/असिचित भूमि है।
5. संस्था द्वारा संचालित गौशाला में वर्तमान में .... बड़े, ...छोटे कुल .... गौवंश संधारित हैं।
6. नंदीशाला में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण यथा –ग्रेवल रोड़ एवं इन्टरलॉकिंग टाईल्स, बाउण्ड्री वॉल, प्रशासनिक भवन, पशु चिकित्सा सुविधा एवं अन्य निर्माण, चारा भण्डार गृह, काऊ शैड, अन्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक/टयूब वैल, पानी का निकास, विद्युत कार्य, लेण्डस्केप एण्ड साइट डवलपमेन्ट आदि के लिए प्रथम पक्ष द्वारा वित्त विभाग से अनुमोदित राशि रू. 1.57 करोड की 90 प्रतिशत राशि तीन किश्तों में (40 प्रतिशत,, 40 प्रतिशत, 10 प्रतिशत) उपलब्ध करवाई जावेगी। 10 प्रतिशत राशि नंदीशाला संचालक मंडल (द्वितीय पक्ष) वहन करने हेतु सहमत है।
7. प्रथम पक्ष द्वारा वित्त विभाग से अनुमोदित राशि रू. 1.57 करोड की 90 प्रतिशत राशि से अधिक राशि देय नही होगी।
8. द्वितीय पक्ष नंदीशाला के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए नन्दीशाला में आई.पी. कैमरा, RFID Chip, टैग लगवाने तथा समस्त निर्माण कार्यों की जियो टैगिंग एवं फोटोग्राफ आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है।
9. द्वितीय पक्ष नंदीशाला में विभिन्न निर्माण कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. एवं टेक्नीकल स्पेसिफिकेशन अनुसार करवाने हेतु वचनबद्ध है।
10. जिला गोपालन समिति द्वारा निर्माण कार्यो की गुणवता की जांच, मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग संबंधित कार्य जिले में पदस्थापित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियन्ता के पर्यवेक्षण में कराया जावेगा।

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

11. द्वितीय पक्ष नन्दीशाला स्थापना कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता की जांच एवं निर्माण कर्यों का मूल्यांकन पंचायत समिति स्तरी गोपलान समिति से करवाये जाने के लिए वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।
12. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्द–बुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। जिसके लिए द्वितीय पक्ष पूर्णतः वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।
13. द्वितीय पक्ष गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 7(V) के अंतर्गत निषिद्ध किये गये कार्यों पर नही किये जाने हेतु वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।
14. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नन्दीशाला की स्थापना पर नवीन निर्माण कार्य पर ही व्यय की जावेगी जिसके लिए द्वितीय पक्ष वचनबद्ध है एवं पाबंद रहेगा।
15. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, निधि से स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित नन्दीशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाने हेतु द्वितीय पक्ष वचनबद्ध है।
16. नन्दीशाला में सार्वजनिक स्थल/सड़कों/गांवो/शहरों से निराश्रित गौवंश को आश्रय दिया जायेगा। जिले की अन्य संचालित गौशालाओं में आवासित नंदी गौवंश को नव स्थापित नन्दीशाला में किसी भी हाल में स्थानान्तरित नही किया जायेगा। जिसके लिए द्वितीय पक्ष वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।
17. नन्दीशाला मे नर गौवंश के पालन पोषण हेतु राजकीय सहायता से अधिक आवश्यक अन्य समस्त व्यय जैसे चारा, पशुआहार, गोपालकों का वेतन, कार्यालय व्यय आदि भामाशाह, दानदाता एवं गौ सेवकों के माध्यम से नन्दीशाला प्रबंधन द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा। जिसके लिए द्वितीय पक्ष वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।
18. राज्य सरकार द्वारा चयनित नन्दीशाला का कभी भी निरीक्षण/ऑडिट करवाई जा सकेगी। जिसके लिए द्वितीय पक्ष वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।
19. द्वितीय पक्ष नंदीशाला संचालन समिति राज्य सरकार से 3 किस्तों प्राप्त राशि अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा। नंदीशाला के निर्माण कर्यों में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान को निरस्त किया जा सकेगा साथ ही स्वीकृत अनुदान की राशि की वसूली द्वितीय पक्ष संस्था से की जा सकेगी। जिसके लिए द्वितीय पक्ष वचनबद्ध एवं पाबंद रहेगा।

ह. शपथ ग्रहिता
प्रथम पक्ष

(मधुसूदन दाधीच)
शासन उप सचिव

ह. शपथ ग्रहिता
द्वितीय पक्ष

पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजना

योजना का विवरण:-

निराश्रित/ नर गौवंश को आश्रय प्रदान करने हेतु प्रदेश की प्रत्येक पंचायत समिति मे पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजनांतर्गत आधारभूत परिसंपतियों के निर्माण हेतु कुल लागत राशि रु 1.57 करोड़ की 90% राशि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने का प्रावधान

योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष:- 2021-22
लाभान्वित वर्ग:-

स्थानीय निकाय (नगरपालिका,नगर परिषद), पंचायतीराज संस्थाओ, पंजीकृत संस्था/ गैर सरकारी सरकारी संस्था/ पंजीकृत ट्रस्ट/ पंजीकृत सरकारी संस्था

योजना की पात्रता:-

1.
    1. संस्था 3 वर्षो से कार्यरत हो !
    2. 250 नर गौवंश के संधारण हेतु संस्था के पास निजी स्वामित्व की 20 बीघा भूमि हो
    3. संस्था के पास गौशाला संचालन एवं समान प्रकृति के कार्यो का न्यूनतम 3 वर्षो का अनुभव
    4. 10% प्रतिशत अंशदान राशि की उपलब्धता

योजना में दिये सुविधाएं:-

नंदीशाला मे स्थायी आधारभूत परिसंपतियों के निर्माण हेतु नंदीशाला की कुल लागत 1.57 करोड़ की 90% राशि राज्य सरकार द्वारा देय है

योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय:-
कार्यालय ज़िला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग